न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2017 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती मोहनी पत्नी मेघाराम जी व पुत्री केसू जी रेगर निवासी पाता की आंति हाल निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालू पिता खेमा जी रेगर निवसी पाता की आंति तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती साउ पत्नी खेमाराम जी रेगर निवासी कुण्डेली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर देवगढ राजसमन्द
दिनांक 03–07–2015 प्रकरण सं.52/2011 रे.वाद

————/————

1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रदीप शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3

————/————

निर्णय **दिनांक 19–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 व 3 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 91–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पाता की आंति में खेमराज के खाते की आराजीयात वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार कूल किता–6 रका 6 बीघा 18 बिस्वा है। खेमराम के 3 पुत्रों में वादी लालू तथा अन्य 2 पुत्र केसू व नेनू है, जो फोत हो चुके है। केसू के अब पुत्री साउ ही जिन्दा है तथा नेनू के पत्नी व पुत्र दोनों फोत हो चुके है। साउ अपने ससुराल में रहती है। विवादित सम्पूर्ण आराजीयात पर वादी लालू का ही कब्जा हे। साउ पुत्री केसू के सारे

सामाजिक कार्य वादी करता है। अतएव अब वादी को अकेले विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जाय।

वादी के उक्त वादपत्र पर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर विवादित आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा होना वर्णित किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3/प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा औपचारिक खण्डन का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानसार 2 तनकीयात कायम की गई :–

1. **आया वादग्रस्त आराजी ख.नं. 99 रकबा 0.09, ख.नं. 100 रकबा 1.07, ख.नं. 102 रकबा 2.11, ख.नं. 103 रकबा 1.06, ख.नं. 824/99 रकबा 0.07, ख.नं. 882/98 रकबा 0.18 किता–6 रकबा 6.18 बीघा जो मौजा पांता की आंती तहसील देवगढ़ में स्थित है जिसका वादी खातेदार/उत्तराधिकारी कानूनी रूप से है? .....जिम्मे वादी**
2. **आया वादग्रस्त आ.ख.नं. 99 रकबा 0.09, ख.नं. 100 रकबा 1.07, ख.नं. 102 रकबा 2.11, आ.नं. 103 रकबा 1.06, ख.नं. 824/99 रकबा 0.07, ख.नं. 882/98 रकबा 0.18 किता–6 रकबा 6.18 बीघा जो मौजा पांता की आंति में स्थित है जिसक 1/2 भाग पर कब्जा प्रतिवाी संख्या 1 का होने व 1/2 हिस्से की खातेदार उत्तराधिकारी होने की कानूनी अधिकारी है? ..... जिम्मे प्रतिवादी**

प्रकरण में शहादत वादी में चालने के दौरान दिंनाक 3–7–2015 को वादी व प्रतिवादी (रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2) के मध्य राजीनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 को प्रत्येक 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–12–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वह अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी तथा पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिये जाने से उसे निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र न्यायहित व अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन भी प्रस्तुत कर निवेन किया कि वादी रेस्पोन्डेन्ट लालू ने सजरे में जानबूझ कर अपीलान्ट को शामिल नहीं किया, जबकि वह केसू के प्रथम

विवाहित पत्नी की पुत्री है। लालू व साउ वादी व प्रतिवादी ने मिलि–भगत कर निर्णय पारित करवाया है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से अधिवक्त श्री प्रदीप शर्मा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार होने से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तो यह पाया गया कि अपीलान्ट स्वयं को मृतक केसू की पूर्व विवाहिता पत्नी की पुत्री होना बताती है। यहां पर केसू की पूर्व पत्नी की पुत्री की विरासत का निर्णय वांछनीय नहीं है तथा यहां केसू की विरासत का निर्णय किया जाना है। अपीलान्ट द्वारा केसू की पुत्री होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। जमाबन्दी में भी केसू की पत्नी के रूप में मांगीबाई ही दर्ज है। अपीलान्ट की माता कंकूबाई केसू की विधवा के रूप में भी रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलान्ट का केसू की पुत्री माने जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वैसे भी यदि केसू के उत्तराधिकारी के रूप में अपीलान्ट का कोई क्लेम बनता भी है, तो वह रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 साउ के स्थान पर अथवा साउ के साथ खातेदारी घोषणा का वाद पृथक से प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकती है। दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार किये जाने के लिए मानक यह है कि क्या विचारण न्यायालय का वाद निर्णय आवेदक पर रेस्ज्युडिकेटा ओपरेट अथवा लागू करता है या नहीं, इस प्रकरण मं ऐसे तथ्य नहीं है। अपीलान्ट साउ के विरूद्ध पृथक से चाराजोही करने को स्वतन्त्र है। अपीलान्ट का उपरोक्तानुसार तथा केसू की पुत्री का प्रमाणन नहीं होने से उसे आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार इस स्तर पर नहीं माना जा सकता।

अतः दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3–7–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्रीमती मोहनी पत्नी मेघाराम जी पुत्री केसू जी रेगर नि0 पाता की आंति हाल नि0 बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

1–श्री लालू पिता खेमा जी रेगर निवासी पाता की आंति तह0 देवगढ़ जिला राजसमन्द अन्य एक व सरकार

अपील नं0 **06/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **देवगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**03**.....माह.....**07**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**19**..... माह .....**12**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अक्षय पालीवाल** **.....** मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री प्रदीप शर्मा व राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3–7–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**19**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।